



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271460
CG-DL-E-31032026-271460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1576]

नई दिल्ली सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 1576]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

का.आ. 1641(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन, श्रीपेरुम्बदूर तालूक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र संबंधी प्रचालनों सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और संबंधित सहायक सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था: -

क्रम. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(i)	का.आ.1784(अ)	18.10.2007	140.755	-	140.755
(ii)	का.आ.6065(अ)	03.12.2018	-	7.111	133.644
(iii)	का.आ.1879(अ)	10.09.2020	-	12.14	121.504
(iv)	का.आ.1913(अ)	21.04.2022	-	1.716	119.788
(v)	का.आ.1509(अ)	20.03.2024	-	45.797	73.991

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 18.753 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 469/एमआईबी.1/2025-2 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 और पत्र सं. 12316/एमआईबी. 2/2018-2-1 दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है। ऐसे अनधिसूचित भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 18.753 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 18.753 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 55.238 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	पानरुत्ति बी	416 भाग	0.255
2.		417 भाग	0.166
3.		418 भाग	0.899
4.		420 भाग	0.866
5.		421 भाग	1.008
6.		422 भाग	1.222
7.		423 भाग	1.226

8.		424 भाग	0.231
9.		427 भाग	0.130
10.		431 भाग	2.594
11.		432 भाग	3.994
12.		433 भाग	2.594
13.		434 भाग	0.214
14.		435 भाग	0.113
15.		436 भाग	0.024
16.		443 भाग	2.206
17.		656 भाग	1.011
कुल			18.753
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			55.238

[फा. सं. एफ. 2/717/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2026

S.O. 1641(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Industrial Growth Centre, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified/denotification the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table: -

Sl. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in Hectares)	De-Notified Area (in Hectares)	Total Area (in Hectares)
(i)	S.O.1784(E)	18.10.2007	140.755	-	140.755
(ii)	S.O.6065(E)	03.12.2018	-	7.111	133.644
(iii)	S.O.1879(E)	10.09.2020	-	12.14	121.504
(iv)	S.O.1913(E)	21.04.2022	-	1.716	119.788
(v)	S.O.1509(E)	20.03.2024	-	45.797	73.991

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 18.753 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter no. 469/MIB.1/2025-2 dated 13th October, 2025 and letter no. 12316/MIE.2/2018-2-1 dated 12.12.2018. Further, such de-notified land parcel would be utilized towards creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 18.753 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 18.753 hectares, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as 55.238 hectares. The Survey numbers and the area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1.	Panrutti B	416 PT	0.255
2.		417PT	0.166
3.		418PT	0.899
4.		420PT	0.866
5.		421PT	1.008
6.		422PT	1.222
7.		423PT	1.226
8.		424PT	0.231
9.		427PT	0.130
10.		431PT	2.594
11.		432PT	3.994
12.		433PT	2.594
13.		434PT	0.214
14.		435PT	0.113
15.		436PT	0.024
16.		443PT	2.206
17.		656PT	1.011
Total			18.753
Grand Total Area of SEZ after above deletion			55.238

[F. No. F. 2/717/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.